पत्रांक–DHESec1/RU संबंधन–104/2022/HTESD ..../

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

राँची, दिनांक–../

विशय:– **संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को शैक्षणिक सत्र 2023–2025, 2024–2026 एवं 2025–2027 के लिए एम0 कॉम0 एवं एम0ए0 के विषयों में अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।**

प्रसंग:– **आपका पत्रांक–70 दिनांक–06.09.2024**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार एवं इंटर रहित अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण संबंधी प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा–04(19) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका–2 में अंकित शर्त्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:–

क्र0	संकाय	विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	एम0ए0 (कला संकाय)	हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, एवं इतिहास	2023–2025 के लिए	अस्थायी नवसंबंधन
	एम0कॉम0 (वाणिज्य संकाय)	सभी समूहों में	2023–2025 के लिए	अस्थायी नवसंबंधन
2.	एम0ए0 (कला संकाय)	हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, एवं इतिहास	2024–2026 एवं 2025–2027 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
	एम0कॉम0 (वाणिज्य संकाय)	सभी समूहों में	2024–2026 एवं 2025–2027 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

2. शर्त्तः–

1. यह महाविद्यालय नवसंबंधन/स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक–BSU-16/86-1096(GSI) दिनांक–19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्त्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्त्तों को सदैव पूरा करेगा।
2. यह नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। भविष्य में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को सख्त निदेश दिया जाता है कि निदेशालय के अनुमोदन से पूर्व चांसलर पोर्टल नहीं खोला जाय।
3. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्त्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गये शर्त्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
4. महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा–5 के तहत् NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
5. आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक– DHESec1/RU संबंधन–104/2022/HTESD......40....../ राँची, दिनांक–......08/01/2025
प्रतिलिपिः–प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।